



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

वन भवन, डोरण्डा, राँची

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-05/2020- 479

दिनांक : 24/6/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची/
वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत शोध एवं अन्य कार्यों के लिए **रु0 72.951 लाख (बहत्तर लाख पनचानवे हजार एक सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-27/2020-37/स्वी0 व0प0 दिनांक 25.03.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0-27/2020-12/आ0 व0प0 दिनांक 09.06.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-60 प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 72.951 लाख (बहत्तर लाख पनचानवे हजार एक सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101600103	47.213
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	25.738
कुल :-		72.951

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क)** से 1 (ग) पर वर्णित वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क)** से 2 (झ) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101600103, 19S240601101600323, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(Handwritten signature)

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, शोध एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड होंगे, उनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी को मार्गदर्शन किया जाएगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।
11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।
13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा। शोध से संबंधित कृषि वानिकी एवं एग्रोफोरेस्ट्री से संबंधित शोध पर किये जा रहे व्यय एवं प्राप्त राजस्व से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।
(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।
(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।



(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

17. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरीडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना

सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य को छोड़कर अन्य कार्य तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

24. वैसी राशि जिनके व्यय की संभावना इस वित्तीय में क्षीण है, उनकी निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

25. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-05/2020-479 दिनांक-25/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-05/2020-479 दिनांक-25/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत किये जा रहे शोध एवं अन्य कार्यों का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय वर्ष 2021-22 (चतुर्थ वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v
1	Improvement of Elephant Habitat in Jharkhand to minimize human-elephant conflict.	2.160	9.870	12.030
2	Long term Ecological Analysis in 40 permanent plots (old) and establishment of 10 new permanent plots in Jharkhand.	3.540	8.873	12.413
योग :-		5.700	18.743	24.443

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत किये जा रहे शोध एवं अन्य कार्यों का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय वर्ष 2020-21 (तृतीय वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v
1	Agroforestry Model development & its analysis.	4.930	1.179	6.109
योग :-		4.930	1.179	6.109

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत शोध से संबंधित किये जा रहे कार्यों का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय वर्ष 2020-21 (तृतीय वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	vi
1	Arboretum Development and its analysis - 10 ha	1.404	0.525	1.929
2	Bambusetum Development and its analysis - 7 ha	1.324	0.368	1.692
3	Soil Conservation Demonstration area Development and its analysis - 20 ha	2.818	0.436	3.254
4	Model Water Demonstration area Development and its analysis - 10 ha	0.903	0.096	0.999
5	Comparative study of multitier cropping system - 4.57 ha	7.892	3.018	10.910
6	Establishment of Demonstration site of Agroforestry with mixed forest species in natral forest - 2 ha	5.839	1.321	7.160
7	Establishment of Seed Production Area - 2.61 ha	0.211	0.052	0.263
8	Investigation on factors responsible for Sal (Shorea robusta) mortality (Consultancy) (IFP, Ranchi)	16.192	0.000	16.192
योग :-		36.583	5.816	42.399

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

शोध एवं मुल्यांकन प्रक्षेत्र मोतील्लेदा में वनस्पति उद्यान (Arboratum) की स्थापना का कार्यदर

योजना का नाम - वनस्पति उद्यान की स्थापना

कुल रकवा - 10 हे०

प्रखण्ड का नाम - देवघर

पौधों की संख्या - 4000

स्थल का नाम - घरमारा

जी०पी०एस० रिडिंग - N-24.534601 E-86.703078

थाना न० - देवघर 422 प्लॉट सं० - 250 (P)

पौधों की दूरी - 5 मी० x 5 मी०

मजदूरी : रू० 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
क	वित्तीय वर्ष 2021-22 संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	56	17,434.48	0.00	17,434.48	
2	पौधों की सुरक्षा	365	113,635.45	0.00	113,635.45	
3	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	-	4,540.00	4,540.00	
4	मृत पौधों का बदलाव (20 प्रतिशत रू० 60/- प्रति पौधा के दर से)	30	9,339.90	48,000.00	57,339.90	
	योग:-	451	140,409.83	52,540.00	192,949.83	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

शोध एवं मुल्यांकन प्रक्षेत्र मोतीलेदा में बाँस उद्यान (Bamboo Setum) की स्थापना का कार्यदर

योजना का नाम – बाँस उद्यान की स्थापना

कुल रकबा – 7 हे०

प्रखण्ड का नाम – देवघर

पौधों की संख्या – 2800

स्थल का नाम – खिलचक

जी०पी०एस० रिडिंग – N-24.530084 E-86.582497

थाना न० – सारवा प्लॉट सं० – 8

पौधों की दूरी – 5 मी० x 5 मी०

मजदूरी : रू० 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
क	वित्तीय वर्ष 2021-22 संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी एवं निकोनी	39.3	12,235.27	0.00	12,235.27	
2	पौधों की सुरक्षा	365	113,635.45	0.00	113,635.45	
3	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	-	3,178.00	3,178.00	
4	मृत पौधों का बदलाव (20 प्रतिशत रू० 60/- प्रति पौधा के दर से)	21	6,537.93	33,600.00	40,137.93	
	योग:-	425.3	132,408.65	36,778.00	169,186.65	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्यदर

योजना का नाम -भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

कुल रकवा - 20 हे०

पौधों की दूरी-3 मी० x 2 मी०,

पौधों की संख्या -33320

मजदूरी : रू० 311.33 प्रति मानव दिवस

स्थल का नाम -सिरका

थाना - अनगडा, थाना नं० - 12 प्लॉट स० - 2272,

G.P.S. Coordinates- N- 23°405714 E- 85°553707

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क	वित्तीय वर्ष 2021-22 संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	460	143,211.80	0.00	143,211.80	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे०	0	-	37,848.00	37,848.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	365	113,635.45	0.00	113,635.45	
4	गड़ढा घेरान की मरम्मत	हे०	20	6,226.60	0.00	6,226.60	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	60	18,679.80	5,800.00	24,479.80	
	योग:-		905	281,753.65	43,648.00	325,401.65	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

जल संरक्षण—सह—वृक्षारोपण का कार्यदर

योजना का नाम — जल संरक्षण —सह — वृक्षारोपण योजना

कुल रकवा — 10 हे०

पौधों की दूरी—3 मी० x 3 मी०, 2 मी० x 2 मी०, 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या — 10000

थाना — पिठोरीया प्रखण्ड— कांके थाना नं० — 21 प्लॉट स० — 04

स्थल का नाम — उपरकोनकी
G.P.S. Coordinates- N- 23°31'47.8"

मजदूरी : रू० 311.33 प्रति मानव दिवस

क. सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क	वित्तीय वर्ष 2021-22 संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	140	43,586.20	0.00	43,586.20	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0	-	7,850.00	7,850.00	
3	पौधों की सुरक्षा	हे०	120	37,359.60	0.00	37,359.60	
4	घेरान मरम्मति	हे०	10	3,113.30	0.00	3,113.30	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	20	6,226.60	1,760.00	7,986.60	
	योग:-		290	90,285.70	9,610.00	99,895.70	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

Comparative Study Of Multitier Cropping System under different Agroforestry System viz. Agri-Silviculture, Horti-Silviculture and Agri-Horti-Silviculture

कृषि वानिकी कार्य का कार्यदर

योजना का नाम – कृषि वानिकी कार्य की स्थापना

पौधों की दूरी – 5 मी० x 5 मी०

कुल रकबा – 4.57 हे०

पौधों की संख्या – 1828

स्थल का नाम – गेतलसुद

प्लॉट स० – 2288 थाना नं० – 09 थाना – अनगड़ा

G.P.S Coordinates - N 23.21'28.18

मजदूरी : ₹० 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
क	वित्तीय वर्ष 2021-22 संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	वानिकी कार्य					
1.2	एक कोड़नी एवं निकौनी	25.592	7,967.56	0.00	7,967.56	
1.3	सुरक्षा पर व्यय	365	113,635.45	0.00	113,635.45	
1.4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	-	2074.78	2,074.78	
1.5	डीजल मोबील पम्प की मरम्मत एवं संचालन पर व्यय	0	-	137100.00	137,100.00	
2	कृषि कार्य		-			कृषि विज्ञान केन्द्र, राँची, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची एवं उपायुक्त, राँची द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर।
2.1	वर्ष में दो बार दलहन (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.4 ha.)	658	204,880.05	12,151.63	217,031.68	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
2.2	वर्ष में तीन बार मौसमी सबजियों (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.3 ha.)	548	170,733.37	150,491.93	321,225.30	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
3	JPF-Agroforestry Experts @ Rs. 16000/- per month	0	192,000.00	0.00	192000.00	
4	Training meeting & travel					
4.1	Introductory workshop in project area (2 workshop)	0	50,000.00	0.00	50000.00	
4.2	Traveling allowance to attended workshop and seminar for concerned subject	0	30,000.00	0.00	30000.00	
5	Data collection & reports					
5.1	Data collection and Project Result Documentation	0	10,000.00	0.00	10000.00	
5.2	COMMUNICATIONS/REPORTS/LITERATURE/ Stationary/other	0	10,000.00	0.00	10000.00	
	योग:-	1597.07	789,216.43	301,818.34	1,091,034.76	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

Establishment of demonstration site of Agroforestry with Mixed forest species

कृषि वानिकी कार्य का कार्यदर

योजना का नाम - कृषि वानिकी कार्य की स्थापना

कुल रकवा - 2 हे०

पौधों की दूरी - 5 मी० x 5 मी०

पौधों की संख्या - 800

प्लॉट सं० - 2288 थाना नं० - 09 थाना - अनगड़ा

स्थल का नाम - चतरा

मजदूरी : ₹० 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
क	वित्तीय वर्ष 2021-22 संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	वानिकी कार्य					
1.2	एक कोड़नी एवं निकौनी	11.2	3,486.90	0.00	3,486.90	
1.3	सुरक्षा पर व्यय	365	124,100.00	0.00	124,100.00	
1.4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	-	908.00	908.00	
1.5	डीजल मोबील पम्प की मरम्मत एवं संचालन पर व्यय	0	-	60,000.00	60,000.00	
2	कृषि कार्य		-			कृषि विज्ञान केन्द्र, राँची, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची एवं उपायुक्त, राँची द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर।
2.1	वर्ष में दो बार दलहन (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.4 ha.)	288	89,663.04	5,318.00	94,981.04	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
2.2	वर्ष में तीन बार मौसमी सबजियों (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.3 ha.)	240	74,719.20	65,860.80	140,580.00	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
3	JPF-Agroforestry Experts @ Rs. 16000/- per month	0	192,000.00	0.00	192,000.00	
4	Training meeting & travel					
4.1	Introductory workshop in project area (2 workshop)	0	50,000.00	0.00	50,000.00	
4.2	Traveling allowance to attended workshop and seminar for concerned subject	0	30,000.00	0.00	30,000.00	
5	Data collection & reports					
5.1	Data collection and Project Result Documentation	0	10,000.00	0.00	10,000.00	
5.2	COMMUNICATIONS/REPORTS/ LITERATURE/ Stationary/other	0	10,000.00	0.00	10,000.00	
	योग:-	904.20	583,969.14	132,086.80	716,055.94	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना का कार्यदर

योजना का नाम - बीज उत्पादन क्षेत्र की स्थापना

कुल रकवा - 2.61 हे०

स्थल का नाम - घुरलेटा

वृक्षों की संख्या - 390(अधिकतम)

प्लॉट सं० - 113 थाना नं० - 49 थाना - अनगड़ा

G.P.S Coordinates - N 23.23'09.9" E

85.34'40.05"

मजदूरी : ₹० 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क	वित्तीय वर्ष 2021-22 संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ्य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे०) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6" ईंच गहराई तक।	हे०	31.32	9750.86	0.00	9750.86	
2	गुणाढ्य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे०	26.10	8125.71	2610.00	10735.71	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी०ए०पी० डालना आवश्यकतानुसार।	हे०	7.83	2437.71	2610.00	5047.71	
4	घेरान मरम्मति	प्रति इकाई	2.61	812.57	0.00	812.57	
	योग -		67.86	21126.85	5220.00	26346.85	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

कृषि वानिकी कार्य का कार्यदर

योजना का नाम – कृषि वानिकी कार्य की स्थापना

पौधों की दूरी – 5 मी० x 5 मी०

कुल रकवा – 3 हे०

पौधों की संख्या – 1200

स्थल का नाम – महिलौंग


प्लॉट संख्या– 3262 (P)

मजदूरी प्रति मानव दिवस : ₹0 311.33

क. सं०	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय	Item No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क	वित्तीय वर्ष 2021-22 संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	वानिकी कार्य						
1.2	एक कोड़नी एवं निकौनी	16.8	5230.34	0.00	5230.34	1	
1.3	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	0.00	1362.00	1362.00	2	
1.4	सुरक्षा पर व्यय	365	113635.45	0.00	113635.45	23	
1.5	डीजल मोबील पम्प की मरम्मत एवं संचालन पर व्यय	-	-	60000.00	60000.00	22	
2	कृषि कार्य						कृषि विज्ञान केन्द्र, राँची, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची एवं उपायुक्त, राँची द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर।
2.1	वर्ष में दो बार दलहन (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (1.2 ha.)	144	44831.52	8693.00	53524.52		सामग्री में 10% वृद्धि के साथ
2.2	वर्ष में तीन बार मौसमी सबजियों (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.9 ha.)	120	37359.60	47813.00	85172.60		सामग्री में 10% वृद्धि के साथ
3	JPF-Agroforestry Experts @ Rs. 16000/- per month		192000.00		192000.00		
4	Training meeting & travel						
4.1	Introductory workshop in project area (2 workshop)		50000.00		50000.00		L. S.
4.2	Traveling allowance to attend workshop and seminar for concerned subject		30000.00		30000.00		L. S.
5	Data collection & reports						
5.1	Data collection and Project Result Documentation		10000.00		10000.00		L. S.
5.2	COMMUNICATIONS/REPORTS/ LITERATURE/Stationary/other		10000.00		10000.00		L. S.
	योग:-	645.80	493056.91	117868.00	610924.91		

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-05/2020_A/479

दिनांक - 24-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110160010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	28563	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 03 - मजदूरी	1,063,000.00 रुपये दस लाख तीरसठ हजार
2	S 19 24060110160010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	28564	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR GF PLANTATION RES.&EVL.JHKD 03 - मजदूरी	3,658,300.00 रुपये छत्तीस लाख अठारवन हजार तीन सौ
3	S 19 24060110160010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	28566	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,992,200.00 रुपये उन्नीस लाख बयानवे हजार दो सौ

योग: रुपये सड़सठ लाख तेरह हजार पॉच सौ
क्रमिक योग:

6,713,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
4	S 19 24060110160010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यय	28567	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL JHKD 23 - आपूर्ति एवं सावग्री	581,600.00 रुपये पाँच लाख इक्क्यासी हजार एक सौ



State Scheme : NA
Central Scheme : NA

योग:

रुपये बहत्तर लाख पिनचानवे हजार एक सौ

581,600.00

क्रमिक योग:

7,295,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
RANCH, PCCF, DEV. JHARKHAND